न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0–439 सन् 2014

जलेश्वर प्रसाद सिंह..........................वादी।

बनाम

रविन्द्र प्रसार सिंह.................... ....प्रतिवादी।

दिनांक– 03.07.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 27.09.2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि इस वाद में वादी की ओर से दास्तावेज सूची दिनांक 17.07.2017 के द्वारा मूल बैनामा दस्तावेज जो निम्न प्रकार है–

1. बैनामा दिनांक 10.11.1972 रामानंद सिंह बनमा राम फौजदार सिंह 2. बैनामा दिनांक 26.04.1972 लक्ष्मी प्रसाद बनाम फौजदार सिंह। 3. बैनामा दिनांक 08.09. 1953 फौजदार सिंह बनाम चन्द्रकेत सिंह 4. बैनामा दिनांक 08.09.1953 पृथ्वी सिंह वगैरह बनाम राम फौजदार सिंह 5. बैनामा दिनांक 02.11.1973 सचितानंद सिंह बनाम फौजदार सिंह 6. बैनामा दिनांक 12.06.1978 जलेसर कुंवर बनाम फौजदार सिंह 7. राम कृपाल सिंह बनाम राजेन्द्र सिंह बैनामा दिनांक 19.01.1976 8. बैनामा दिनांक 09.01.1986 केदार शर्मा बनाम राजेन्द्र सिंह 9. बैनामा दिनांक 04.01.1982 नरवन्देश्वर दूबे बनाम राजेन्द्र सिंह 10. बैनामा दिनांक 18.12.1985 नरवदेश्वर दूबे बनाम राजेन्द्र सिंह 11. बैनामा दिनांक 12.01.1987 नमदेश्वर दुबे बनाम राजेन्द्र सिंह 12. बैनामा दिनांक 03.12.1953 नन्द लाल सिंह बनाम फौजदारी सिंह जो सभी तीस वर्ष पुराना मूल दस्तावेज है जिसे नियमानुकूल प्रदर्श चिन्हित किया जाए। जिसके संबंध में वादी जलेश्वर सिंह अपने साक्ष्य के शपथ पत्र के कंडिका 21 में जिक भी किया है। दिनांक 20.05.2015 को वादी की ओर से दस्तावेज सूची के साथ खतियान वो भी पोस्ट ऑफिस का मनिआर्डर रसीद दाखिल किया गया है जो लोक दस्तावेज है जो भूलवश प्रदर्श चिन्हित होना छुट गया है उसे प्रदर्श चिन्हित करना न्यायहित में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि वादी द्वारा दस्तावेज सूची 20.05.2017 वो भी दिनांक 17.07. 2017 द्वारा दाखिल दस्तावेज को प्रदर्श करने का न्यायहित में स्वीकार करने की कृपा प्रदान की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं

किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी दस्तावेज प्रदर्श हेतु आवेदन दिनांक 27.09.2022 को दाखिल किया है। जो तीस वर्ष पुराना है तथा लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता है। अतः वादी की ओर से दाखिल दस्तावेज प्रदर्श मार्क हेतु आवेदन दिनांक 27.09.2022 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक....................को बहस हेतु।

सब जज

चसोनपुर, सारण।